


भारत सरकार(Government of India)
रेल मंत्रालय(Ministry of Railways)
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

परिपत्र

विषय : कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन (3 मई 2020 तक) लागू करने हेतु दिशा-निर्देश।

उपरलिखित विषय पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 14.04.2020 का आदेश सं. 40-3/2020- डीएम-
I(ए) की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।


(मनोज कुमार)
निदेशक (जीए)
रेलवे बोर्ड।

सं 2020/जी(एक)/मेंट/मिस/कोविड-19
नई दिल्ली, दिनांक 15.04.2020

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. रेलभवन, प्रगति मैदान और दयावस्ती में बोर्ड कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ ।
2. नोटिस बोर्ड ।